

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

गीतादेवी

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट. नम्बर 96 सन-2021

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मग इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
14.12.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट दीपलालना में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा दीपलाना बरानी के खाता संख्या 7/2 की कुल 3.795हैक् एवं रोही मौजा चक 12 बरानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक् एवं रोही मोजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक् भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम मीरा , धापा दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम गीतादेवी , सुशीला देवी है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम गीतादेवी , सुशीला देवी दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गीतादेवी , सुशीला देवी दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट /गजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थीगण का नाम गीतादेवी , सुशीला देवी है नाम संशोधन की अभिशषा की गई है।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मीरा, धापा दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम गीतादेवी , सुशीला देवी दर्ज है</p> <p>प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में कैम्प के दोरान संरपच के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया गया ।</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत किकराली की तस्दीक के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दीपलाना बरानी के खाता संख्या 7/2 की कुल 3.795हैक् एवं रोही मौजा चक 12 बरानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक् एवं रोही मोजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक् में प्रार्थी का नाम मीरा , धापा दर्ज है के स्थान पर मीरा उर्फ गीतादेवी , एवं धापा उर्फ सुशीला देवी संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(सु) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ) प्रशासन गांव के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट दिपलाना</p>	

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/1123

दिनांक :- 17/12/21

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण अनवानी गीतादेवी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. गीतादेवी 2 सुशीलादेवी पुत्रीया मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी


बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दीपलाना बरानी के खाता संख्या 7/2 की कुल 3.795 हैक् एवं रोही मौजा चक 12 बरानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670 हैक् एवं रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820 हैक् में प्रार्थी का नाम मीरा , धापा दर्ज है के स्थान पर मीरा उर्फ गीतादेवी , एवं धापा उर्फ सुशीला देवी संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट उज्जलवास